यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, टनकपुर, चम्पावत** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, टनकपुर, चम्पावत के माह 04.2013 से 12.2018 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, तथा श्री मुन्ना राम, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 14.01.2019 से 17.01.2019 तक सम्पादित की गयी।

भाग- I

1). परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पी. सी. श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री कुलदीप कौल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 20.04.13 से 23.04.13 तक श्री एस. के. त्यागी, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 06/2010 से 03/2013 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2013 से 12/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः इकाई के अधीन रोजगार परक व्यवसायो जैसे फिटर, विधुत्कार, मैकेनिक मोटर व्हिकल आदि मे प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इकाई के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र मे समस्त टनकपुर आता है।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
		स्थापना	गैर-स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
1	2013-14	0.00	0.00	138.95	133.91	12.41	10.42	-	7.03
2	2014-15	0.00	0.00	151.15	150.21	24.66	18.97	-	6.62
3	2015-16	0.00	0.00	163.26	156.10	15.35	12.25	-	10.26
4	2016-17	0.00	0.00	180.68	180.00	44.09	31.43	-	13.34
5	2017-18	0.00	0.00	215.90	213.43	21.99	21.05	-	3.41
6	2018-19	0.00	0.00	311.00	153.94	33.56	25.56	-	--

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

लागू नही

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**आवंटित धनराशि**	**व्यय धनराशि**	**अधिक्य(+)/ बचत(-)**	**ब्याज**
2014-15	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2017-18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2018-19	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना अनुदान संख्या 16 के अंतर्गत, निदेशालय प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, हल्द्वानी द्वारा किया जाता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

a). प्रमुख सचिव, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन , उत्तराखंड, देहरादून

b). निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

c). अपर निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

d). उप निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

e). प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, टनकपुर चम्पावत

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 04.2013 से 12.2018 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए **कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, टनकपुर, चम्पावत** के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी । यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, टनकपुर, चम्पावत** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03.2017, 06.2018 एवं 08.2015 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर:1- निर्माण कार्य हेतु समस्त धनराशि रु 363.60 लाख निर्माण एजेंसी को अवमुक्त किए जाने के बावजूद निर्माण कार्यो का अपूर्ण रहना तथा शासनादेश के निर्देशों के विपरीत लक्ष्य अप्राप्त होने के बावजूद निर्माण एजेंसी को धनराशि अवमुक्त किया।

शासनादेश 223/XLI-1/2015-51(प्रशि॰)/2015, दिनांक 26.03.2015 द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तल्लादेश तथा तालचौड, चम्पावत के अनवासीय भवन निर्माण हेतु क्रमशः स्वीकृत धनराशि रु 195.47 लाख एवं रु 177.22 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसके सापेक्ष कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, पिथौरागढ़ को रा॰औ॰प्र॰स॰ तल्लादेश हेतु अबतक समस्त धनराशि रु 192.79 लाख माह 08/2018 तक इकाई द्वारा एजेंसी को अवमुक्त किया गया, जिसका विवरण इस प्रकार है:- रु58.64 लाख- माह 03/2015, रु60.00 लाख- माह 03/2016, रु50.00 लाख- माह 03/2018, तथा अंतिम किस्त रु24.15 लाख- माह 08/2018. इसी प्रकार उक्त निर्माण एजेंसी को रा॰औ॰प्र॰स॰ तालचौड, चम्पावत हेतु अब तक समस्त धनराशि रु 170.81 लाख माह 04/2016 तक इकाई द्वारा एजेंसी को अवमुक्त किया गया, जिसका विवरण इस प्रकार है:- रु53.17 लाख- माह 03/2015, रु60.00 लाख- माह 04/2016 तथा अंतिम किस्त रु57.64 लाख- माह 03/2018. उक्त निर्माण कार्यो की लेखापरीक्षा तिथि तक अददतन स्थिति निम्नवत पायी गयी :-

संस्थान का नाम	स्वीकृत लागत	एमओयू के अनुसार कार्य पूर्ण का माह (18 माह)	अबतक अवमुक्त धनराशि	निर्माण कार्य पर 11/2018 तक व्यय	निर्माण की वर्तमान स्थिति
आईटीआई तल्लादेश	195.47 लाख	09/2016	192.79 लाख	130.58 लाख	66%
आईटीआई तालचौद, चम्पावत	177.22 लाख	09/2016	170.81 लाख	137.98 लाख	74%

प्रकरण-1: राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तल्ला देश के संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि उक्त संस्थान को 02/2014 मे वैधानिक स्वीकृत प्रदान की गयी थी जिसके सापेक्ष 22 माह के बाद 11/2015 मे संबन्धित संस्थान हेतु पद स्रजित किए गए साथ ही पदो का स्रजन न होने के कारण संस्थान संचालित नही पाया गया जबकि उक्त संस्थान का निर्माण कार्य हेतु चयन 03/2015 मे ही कर लिया गया था। संबन्धित संस्थान हेतु भूमि सुनिश्चित/उपलब्ध नही होने के बाद भी 04/2015 मे 18 माह हेतु एमओयू कर धनराशि रु 58.64 लाख एजेंसी को अवमुक्त की गयी, जिसके अनुसार कार्य 09/2016 मे पूर्ण किया जाना था। आगे जांच मे पाया गया कि निर्माण स्थल तक पहुच मार्ग नही होने के कारण 11/2015 तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नही किया जा सका। उपरोक्त शासनादेश के अनुसार पूर्व आहरित धनराशि के 80% उपयोग के उपरान्त ही अगली किश्त जारी किया जाना अनुमन्य था जबकि संबन्धित निर्देशों के अनुपालन किया बिना 03/2016 को निर्माण एजेसी को आगामी किश्त रु 60.00 लाख इकाई द्वारा अवमुक्त कर दी गयी जबकि पत्रांक 7024/डीटीईयू/प्रशि॰/नाबार्ड/भूमि भवन/2016, दिनांक 26.05.16 से स्पष्ट है कि कुल रु 118.64 लाख निर्माण एजेसी को अवमुक्त होने के बावजूद भी 05/2016 तक भवन की भौतिक प्रगति शून्य पायी गयी तथा 07/2016 तक निर्माण

एजेसी द्वारा मात्र रु 48.50लाख (प्रथम किश्त रु 58.64 लाख का 80%) व्यय किया गया। पुनः अगस्त 2018 मे गलती की पुनरावृति करते हुये अंतिम किश्त रु 24.15 लाख निर्माण एजेंसी को अवमुक्त कर दी गयी जबकि जांच मे पाया गया की पूर्व अहरित/अवमुक्त धनराशि रु 168.64 लाख के सापेक्ष 126.40 लाख(रु 168.64 का 74%)व्यय किया गया तथा 08/2018 तक (5 माह पूर्व) निर्माण एजेसी को समस्त धनराशि रु 192.79 लाख प्रदान किए जाने के बाद भी वर्तमान तक निर्माण कार्य अपूर्ण (भौतिक प्रगति 66%) पाया गया।

प्रकरण-2 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तालचौड, चम्पावत से संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि संस्थान हेतु भूमि सुनिश्चित/उपलब्ध नही होने के बाद भी 04/2015 मे 18 माह हेतु एमओयू कर धनराशि रु 53.17 लाख एजेंसी को अवमुक्त किये गये, जबकि संबधित संस्थान हेतु भूमि भवन प्रस्ताव 08/2015 को शासन को प्रेषित किया गया। आगे जांच मे पाया गया कि संबन्धित निर्माण कार्य हेतु समस्त धनराशि रु 170.81 लाख 03/2018 तक निर्माण एजेसी को प्रदान किए जाने के बावजूद 9 माह के उपरान्त भी निर्माण कार्य अपूर्ण (मात्र 74%) था।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर मे बताया कि संबन्धित संस्थानो हेतु भूमि चयन एवं हस्तान्तरण एवं प्रक्रियात्मक प्रक्रियाओ मे विलम्ब होने के कारण निर्माण कार्य हेतु भूमि विलम्ब से सुनिश्चित कि गयी तथा पूर्व स्वीकृत धनराशि के 80% व्यय के उपरान्त ही आगामी किश्त अवमुक्त किए जाने संबन्धित टिप्पणी पर इकाई ने उत्तर दिया कि इस संबंध मे निर्माण एजेसी से पत्राचार कर वास्तविक स्थिति से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा साथ ही उच्च अधिकारियों के द्वारा लिए गए निर्णय के सापेक्ष ही धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त कि गयी।

उत्तर मान्य नही है क्योकि इकाई द्वारा निर्माण कार्यो हेतु भूमि अनुपलब्ध/असुनिश्चित होने के बाद भी निर्माण एजेंसी से एमओयू कर, न केवल एमओयू निष्क्रिय किया गया बल्कि शासनादेश के अनुसार निर्धारित 80% व्यय के लक्ष्य को अप्राप्त किए जाने के बावजूद निर्माण एजेंसी को निरंतर धनराशि अवमुक्त करना इकाई की अनुश्रवण के प्रति उदासीनता प्रकट करता है तथा वर्तमान तक उक्त निर्माण कार्यो हेतु समस्त धनराशि निर्माण एजेंसी को अवमुक्त किए जाने के बावजूद निर्माण कार्य अपूर्ण पाया गया।

अतः प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर:2- वित्तीय नियमो का अनुपालन सुनिश्चित किए बिना धनराशि रु 13.98 लाख का अनियमित व्यय का प्रकरण पाया जाना।

कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, टनकपुर के अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि पत्रांक 634-38/डीटीईयू/0202/003-07/2017-18, दिनांक 16.01.2018 एवं पत्रांक 10792-32/डीटीईयू/0202/11/2016-17, दिनांक 09.03.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2016-17 के लिए लेखाशीर्ष 2230-03-003-07 एवं 2230-03-003-03 के अंतर्गत मानक मद-26 'मशीन और साज-सज्जा/उपकरण' मे क्रमशः धनराशि रु 9.66 लाख एवं 9.00 लाख का आबंटन निम्न प्रतिबंधों के तहत किया गया

1. आहरित किए जाने वाले देयकों के क्रयादेश अधिप्राप्ति नियमावली के अंतर्गत संस्थान स्तर पर अनुमन्य अधिकारो के अंतर्गत अथवा तत्समय वैध डीजीएसएनडी रेट के अंतर्गत कार्यवाही करते हुये निर्गत किए गए हो।
2. क्रयादेश के सापेक्ष प्राप्त साज सज्जा क्रयादेश की विशिष्टियों के अनुरूप प्राप्त की गयी हो तथा साज सज्जा संतोषजनक रूप से कार्य कर रही हो।
3. शासकीय व्यय हेतु अधिप्राप्ति नियम 2017 तथा अन्य सुसंगत वित्तीय नियमो का कड़ाई से अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए।

उक्त निर्देशों के परिपेक्ष्य मे आबंटित धनराशि रु 18.66 लाख के सापेक्ष मद संख्या 26 के अंतर्गत धनराशि रु 13.98 लाख का भुगतान मार्च 2017 एवं मार्च 2018 मे मशीन एवं टूल्स हेतु विभिन्न फ़र्म को किया गया। अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि धनराशि रु 6.85 लाख के कालातीत देयकों (पूर्व 2 वर्षो के) का भुगतान इकाई स्तर से बिना क्रय आदेश सुनिश्चित किए किया गया तथा जबकि उक्त शर्तो के अनुसार आपूर्ति आदेश जारी करने से पूर्व इकाई द्वारा क्रय आदेश प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाना था परन्तु लेखापरीक्षा मे सामग्रियों के आपूर्ति के संबंध मे इकाई ने कोई क्रय आदेश की पत्रावलियाँ उपलब्ध नही पायी गयी। आगे जांच मे पाया गया कि शेष धनराशि रु 7.13 लाख का भुगतान इकाई द्वारा किया गया जबकि संबन्धित साज सज्जा की क्रय पद्दति/क्रय प्रक्रिया (दर संविदा) का निर्णय उनके निदेशालय द्वारा लिया गया जिसकी पत्रावली का रखरखाव यूनिट मे अप्रस्तुत पाया गया। साथ ही संबन्धित देयकों के भुगतान हेतु प्रेषित देयकों मे संलग्न क्रय आदेश जो निदेशालय स्तर से जारी किए गए थे, के अनुसार उक्त देयकों का भुगतान निदेशालय प्रशिक्षण द्वारा किया जाना अनुमन्य था तथा टीडीएस कि कटौती किया जाना था जबकि संबन्धित देयकों मे टीडीएस की कटौती न कर फ़र्म को कुल ₹ 13.98 लाख का अदेय भुगतान इकाई स्तर से किया गया।

इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि क्रय प्रक्रिया निदेशालय द्वारा अपनाई गयी अतः उसका रखरखाव भी निदेशालय स्तर पर किया गया एवं क्रय आदेश निदेशालय द्वारा जारी किए गए इकाई द्वारा उच्चाधिकारियों के निर्णय के अनुसार फ़र्मों को भुगतान किया गया। थे जिसका रखरखाव इकाई स्तर से नही किया जा रहा है।

उत्तर मान्य नही है क्योंकि डीडीओ द्वारा सामग्रियों के भुगतान मे पारदर्शिता नही बरती गयी। कालातीत देयकों मे जब डीडीओ द्वारा क्रय आदेश की पत्रावली नही प्राप्त की गयी तो उन्होने फ़र्मों से प्राप्त सामगियों की सुनिश्चितता किस आधार पर की, वो लेखापरीक्षा मे स्पष्ट नही हो पाया जो अधिप्राप्ति नियमावली के नियम संख्या 3(1) & 3(8) के अनुसार

पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा तथा निष्पक्षता का उल्लंघन का प्रकरण पाया गया। तथा जांच मे पाये गए क्रय आदेशो के अनुसार भुगतान का दायित्व निदेशालय का था जबकि भुगतान इकाई द्वारा किया गया।

अतः प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर:3- अधिप्राप्ति नियमों की अनदेखी करते हुये धनराशि रू.1.46 लाख का अनियमित व्यय।

उत्तराखण्ड शासन वित्त विभाग संख्या- 177/ xxxvii (7)/ 2008 देहरादून दिनांक 1 मई, 2008 अधिप्राप्ति के मौलिक सिद्धांत बिंदु संख्या 3(1) में स्पष्ट किया गया है कि समस्त अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा तथा निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए ताकि व्यय की जाने वाली धनराशि का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके एवं बिंदु संख्या (10) में स्पष्ट किया गया है कि अधिप्राप्ति के निम्नतम दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाए। अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्र को विभाजित नहीं किया जाएगा और न ही कुल आवश्यकता के आंकलित मूल्य के सन्दर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए छोटे- छोटे भागों में विभक्त किया जाएगा।

उपरोक्त नियम के परिपेक्ष्य मे कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, टनकपुर, चम्पावत की वित्तीय वर्ष 2017-18 की नमूना जाँच में पाया गया कि धनराशि रु 1.46 लाख का व्यय फरवरी 2017 तथा मार्च 2017 मे सामान्यतः एक ही फ़र्म से सक्षम अधिकारी की स्वीकृति एवं क्रय/निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए अधिप्राप्ति नियमावली के विरुद्द टुकड़ों-टुकड़ो मे विभक्त कर किया गया था, जिसका विवरण निम्नलिखित है-:

क्र0 सं0	फर्म का नाम	बिल सं0	दिनांक	धनराशि (रु0)
1	M/s kamal Traders, Khatima	434	23.03.2017	17850.00
	M/s kamal Traders, Khatima	420	20.03.2017	9820.00
1	M/s kamal Traders, Khatima	394	18.03.2017	14328.00
2	M/s kamal Traders, khatima	382	17.03.2017	49855.00
3	M/s kamal Traders, Khatima	435	23.03.2017	3100.00
4	M/s kamal Traders, Khatima	426	20.03.2017	2300.00
5	M/s kamal Traders, Khatima	398	25.03.2017	15565.00
6	M/s kamal Traders, Khatima	390	18.03.2017	2000.00
7	M/s kamal Traders, Khatima	392	18.03.2017	4000.00
8	M/s kamal Traders, Khatima	391	18.03.2017	1960.00
9	M/s फैसल जनरल स्टोर टनकपुर		02.02.2017	1083.00
10	M/s Sahkari Mudran Augygic Samiti LTD, Haldwani	437	03.02.2017	23030.00
11	M/s Sahkari Mudran Augygic Samiti LTD, Haldwani	438	03.02.2017	1838.00
				146729.00

आगे जांच मे पाया गया कि उक्त व्यय किए जाने हेतु कोई भी क्रय समिति का गठन संस्थान स्तर से नही किया गया। संबन्धित देयकों/वाउचरो कि जांच मे तथ्य उजागर हुआ कि मद संख्या 42, 47,11, 08 के अधीन आवंटित बजट के सापेक्ष उक्त धनराशि का व्यय कच्ची सामग्री के क्रय हेतु किया गया, जबकि संबन्धित व्यय मद संख्या 31 सामग्री आपूर्ति (Raw material) के अंतर्गत किया जाना चाहिये था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर दिया कि उपरोक्त सामग्रियों हेतु कोई क्रय समिति का गठन नही किया गया भबिष्य में समिति का गठन किये जाने के उपरोक्त ही क्रय प्रक्रिया अपनाई जाएगी तथा मद संख्या 31 मे बजट नही मिलने के कारण संबन्धित धनराशि का व्यय अन्य मद से किया गया।

उत्तर मान्य नही है क्योकि उपरोक्त नियम के तहत निम्नतम दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा कि एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास नही किया गया साथ ही एक ही फ़र्म से बार-बार क्रय किया जाना संबन्धित फ़र्म को अनुचित लाभ प्रदर्शित करता है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
45/2013-14	--	--	01
19/2010-11	--	01	---

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण			अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभियुक्ति
	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN			
45/2013-14	--	--	01		विगत प्रस्तरों की अनुपालन आख्या निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं किया जाने के	
19/2010-11	--	01	---			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य .....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, टनकपुर, चम्पावत** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेख: शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	पदनाम	अवधि
श्री राजेश कुमार	प्रधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, टनकपुर, चम्पावत	लेखापरीक्षा अवधि से 03.01.2016 तक
श्री जे॰ पी॰ टम्टा	प्रधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, टनकपुर, चम्पावत	04.01.2016 से 11.08.2017 तक
श्री आर॰ एस॰ मर्तौलिया	प्रधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, टनकपुर, चम्पावत	11.08.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, टनकपुर, चम्पावत** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून 248195 " को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.